निर्णय बइजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद

जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 121/2022 तारीख दायरा :–04.10.2022

उनवान

मनमोहन बाई पत्नी स्व0 अमरलाल जाति धाकड निवासीग्राम मंडाप तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – वादीनी

बनाम

1. बालकिशन पुत्र कजोड जाति धाकड निवासी ग्राम मंडाप तहसील सांगोद।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब सांगोद जिला कोटा। – प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :–

श्री बाबूलाल नागर (वकील वादी) दिनांक :– 03.01.2023

श्री अनुतोष नागर (प्रतिवादी सं.1)

श्री सरकार पैरोकार (प्रतिवादी सं.2)

—— निर्णय ——

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीनी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम मंडाप पटवार हलका मंडाप तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता स0 नई 93 के खसरा नं. 96 [illegible] 1.94 हेक्टर आराजी स्थित है, जिसकी वादीनी खातेदार कृषक है। इसी प्रकार प्रतिवादी नं0 1 बालकिशन के खाते व कब्जे की काश्त की आराजी माल ग्राम मकडावद पटवार हलका मकडावद पटवार हलका मकडावद तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता स0 नई 153 की खसरा नं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 16:06:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

857 की 2.72 हैक्टर आराजी स्थित है, जिसका प्रतिवादी नं0 1 खातेदार कृषक है। वादीनी व प्रतिवादी नं0 1 की आराजीयात एक दूसरे की आराजीयात के नजदीक है, दोनों के माल के मध्य ज्यादा दूरियां नहीं है तथा वादीनी व प्रतिवादी अपने-अपने कब्जे काश्त की आराजी को मौके पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीनी ने अभी प्रधानमंत्री कृषक योजना के तहत आराजी ऑनलाइन करवाने के लिए नकल प्राप्त की तो वादीनी की जानकारी में आया कि वादीनी जिस खसरा नं. की आराजी को काबिज काश्त कर रही है, वह आराजी वादीनी के खाते की नहीं है। इस पर वादीनी द्वारा पटवारी हलका महोदय से जानकारी प्राप्त की तो वादीनी की जानकारी में आया कि वादीनी के खाते की आराजी को प्रतिवादी नं0 1 काश्त कर रहा है और प्रतिवादी नं0 1 की आराजी को वादीनी काबिज काश्त कर रही है। वादीनी को उक्त तथ्य की जानकारी होने के बाद वादीनी द्वारा प्रतिवादी नं0 1 से राजस्व रिकोर्ड में हुई त्रुटि को दुरूस्त करवाने व मौके पर कब्जे काश्त अनुसार एक दूसरे के खाते आराजी दर्ज करवाने की कहने पर प्रतिवादी नं0 1 टालम टूल कर रहा है। वादीनी व प्रतिवादी नं0 1 एक-दूसरे के खाते की आराजी पर काबिज काश्त है, जिसकी एक दूसरे के नाम की आराजी को अपने-अपने हक में घोषणा करवाना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी नं. 1 से तहसील कार्यालय में चलकर राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटि को दुरस्त करवाने की कहने पर प्रतिवादी नं0 1 तैयार नहीं होने तथा बाद में पटवार हलका महोदय से भी उक्त त्रुटि को दुरस्त करने की कहने पर उनके द्वारा मना कर देने से माननीय न्यायालय मे उक्त वाद प्रस्तुत कर अपने कब्जे काश्त की आराजी की अपने हक में घोषणा करवाना आवश्यक हुआ है। यही इस वाद की विषयवस्तु है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि माल ग्राम मकडावद पटवार हलका मकडावद तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 153 की खसरा नं0 857 की 2.72 हैक्टर आराजी स्थित है, के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी नं0 1 के स्थान पर वादीनी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में इंद्राज दुरस्त किया जाकर प्रतिवादी नं0 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से डिलीट फरमाया जाकर वादीनी का नाम प्रतिस्थापित किया जाकर इंद्राज दुरस्ती की जावे। इस आशय की घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती की डिकी वादीनी के हक में पारित फरमाई जावे। साथ ही वादीनी के खाते की आराजी माल ग्राम मंडाप पटवार हलका मंडाप तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 93 के खसरा नं0 96/2 की 1.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 16:06:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

94 हैक्टर आराजी पर से वादीनी के स्थान पर प्रतिवादी नं0 1 को खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में इंद्राज किया जाकर वादीनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से डिलीट फरमाया जावे। इस आशय की घोषणा की डिक्री पारित फरमाई जावे तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में इंद्राज दुरस्त किया जाकर वादीनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से डिलीट फरमाया जाकर प्रतिवादी नं0 1 का नाम प्रतिस्थापित किया जाकर इन्द्राज दुरस्ती फरमाई जावे।

उक्त आशय का दावा पेश होने के उपरान्त दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अनुतोष नागर द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 2 फॉर्मल पक्षकार है। इसके उपरान्त दोनों पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से न्यायालय हाजा में राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार माल ग्राम मकडावद पटवार हलका में खाता संख्या नई 153 की खसरा नं0 857 रकबा 2.72 हैक्टर आराजी जो राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी नं0 1 बालकिशन के नाम दर्ज है, में से 1.94 हैक्टर उत्तरी आराजी का वादीनी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त किया जाकर प्रतिवादी नं0 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर वादीनी का नाम दर्ज रिकॉर्ड किया जावे। शेष आराजी प्रतिवादी नं0 1 के खाते में दर्ज रहेगी। साथ ही माल ग्राम मंडाप की खाता संख्या नई 93 के खसरा नं0 96/2 की 1.94 हैक्टर आराजी में वादीनी के स्थान पर प्रतिवादी नं0 1 बालकिशन को खातेदार कृषक घोषित किया जावे। राजीनामा सरे इजलास पढकर सुनाया गया, किसी भी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई। राजीनामा तस्दीक किये जाने के वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

बहस वादीगण सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य जो भी प्रस्तुत की गई वह न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है पत्रावली में तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली में समस्त प्रकार के साक्ष्य, दस्तावेज, राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबंदी, राजीनामा आदि का अवलोकन करने पर वाद वादीनी स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होने से दावा वादीनी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि –

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 16:06:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

माल ग्राम मकडावद पटवार हलका में खाता संख्या नई 153 की खसरा नं0 857 रकबा 2.72 हैक्टर आराजी जो राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी नं0 1 बालकिशन के नाम दर्ज है, में से 1.94 हैक्टर उत्तरी आराजी का वादीनी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी नं0 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर वादीनी का नाम दर्ज रिकॉर्ड किया जावे। शेष 0.78 है. आराजी प्रतिवादी नं0 1 के खाते में दर्ज रहेगी। साथ ही माल ग्राम मंडाप की खाता संख्या नई 93 के खसरा नं0 96/2 की 1.94 हैक्टर आराजी में वादीनी के स्थान पर प्रतिवादी नं0 1 बालकिशन को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा वादीनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर प्रतिवादी सं. 1 का नाम दर्ज रिकॉर्ड किया जावे। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में विवादित आराजी रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोकत आदेश की पालना की जावे। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। उक्तानुसार डिकी मुर्तिब की जावें।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)
(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 03.01.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)
(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 16:06:25 IST
Reason: SelfAttested

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 121 / 2022 तारीख दायरा :–04.10.2022

उनवान

मनमोहन बाई पत्नी स्व0 अमरलाल जाति धाकड निवासीग्राम मंडाप तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – वादीनी

बनाम

1. बालकिशन पुत्र कजोड जाति धाकड निवासी ग्राम मंडाप तहसील सांगोद।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब सांगोद जिला कोटा। – प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :–

श्री बाबूलाल नागर (वकील वादी) दिनांक :– 03.01.2023

श्री अनुतोष नागर (प्रतिवादी सं.1)

श्री सरकार पैरोकार (प्रतिवादी सं.2)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ श्री राजेश डागा (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री बाबूलाल नागर वादी मिन जानिब मुदई रूबरू श्री अनुतोष नागर (प्रतिवादी सं. 2) मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि –

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 16:06:25 IST
Reason: SelfAttested

माल ग्राम मकडाबद्द पटवार हल्का [illegible] में खाता संख्या नई 153 की खसरा नं0 857 रकबा 2.72 हैक्टर आराजी जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी नं0 1 बालकिशन के नाम दर्ज है, में से 1.94 हैक्टर उत्तरी आराजी का वादीनी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी नं0 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर वादीनी

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

का नाम दर्ज रिकॉर्ड किया जावे। शेष 0.78 है. आराजी प्रतिवादी नं0 1 के खाते में दर्ज रहेगी। साथ ही माल ग्राम मंडाप की खाता संख्या नई 93 के खसरा नं0 98/2 की 1.94 हैक्टर आराजी में वादीनी के स्थान पर प्रतिवादी नं0 1 बालकिशन को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा वादीनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर प्रतिवादी सं. 1 का नाम दर्ज रिकॉर्ड किया जावे। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में विवादित आराजी रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोकत आदेश की पालना की जावे। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X .खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयावी तक ... X ..को अदा करें।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.01.2023 को जारी की गई।

मोहर

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट उपखण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा) सांगोद

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	NIL		स्टाम्प वकालतनामा	NIL	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बावत इजराय हुकमनामा		
बावत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 16:06:25 IST
Reason: SelfAttested

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट उपखण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा) सांगोद